न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, तारानगर (चूरू)
पीठासीन अधिकारी श्री संदीप चौधरी (आर.ए.एस.)

मु.न.– ....32...... / 2024

1. भादर सिंह पुत्र रूपा राम जाति जांगिड़ निवासी जिगसाना ताल तहसील तारानगर जिला चूरू।
2. संदीप कुमार पुत्र रूपा राम जाति जांगिड़ निवासी जिगसाना ताल तहसील तारानगर जिला चूरू।

– प्रार्थीगण –

बनाम

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार (राजस्व) तारानगर।

– अप्रार्थी –

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवन्यू एक्ट व धारा 88 आर.टी.एक्ट,

निर्णय

दिनांक 05.02.2024

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना मय शपथ पत्र में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थीगण के नाम कृषि भूमि रोही मौजा बुचावास, पटवार हल्का बुचावास, तहसील तारानगर के खाता संख्या 994 के खसरा सं. 1045 तादादी 0.2276 हैक्ट., खसरा सं. 2409 / 1044 हैक्ट., खसरा नं. 2410 / 1046 तादादी 0. 3541 हैक्ट. कुल खसरे 3 कुल तादादी 3.8062 हैक्ट. है। जिसमें प्रार्थीगण का निवास बुचावास अंकित है। जो गलत है, जबकि प्रार्थीगण का निवास जिगसाना ताल है। प्रार्थीगण के आधार कार्ड, मूल निवास पत्र, जन आधारकार्ड तथा अन्य दस्तावेजों में प्रार्थीगण का निवास जिगसाना ताल है, जो कि प्रार्थीगण का सही निवास है। निवास में भिन्नता होने के कारण प्रार्थीगण को कृषि ऋण, फसल बेचान आदि में काफी परेशानी का सामना करना पडता है। अब प्रार्थीगण जमाबन्दी में अपना निवास दुरूस्त करवाना चाहता है। जमाबन्दी में निवास दुरूस्त करवाने के लिए प्रार्थीगण ने तहसीलदार के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश किया था। परन्तु तहसीलदार ने बिना किसी न्यायालय के आदेश के नाम दुरूस्त करने से इंकार कर दिया। इसलिए श्रीमानजी के समक्ष प्रार्थना प्रत्र पेश कर रहा है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कृषि भूमि रोही मौजा बुचावास, पटवार हल्का बुचावास, तहसील तारानगर के खाता संख्या 994 के खसरा सं. 1045 तादादी 0. 2276 हेक्ट., खसरा सं. 2409 / 1044 हैक्ट., खसरा नं. 2410 / 1046 तादादी 0.3541 हैक्ट. कुल खसरे तीन कुल तादादी 3.8062 हैक्ट. में प्रार्थीगण का निवास जिगसाना ताल किये जाने का आदेश प्रदान करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थीगण द्वारा तहसीलदार तारानगर के समक्ष दियें प्रार्थना पत्र में आई पूर्व में प्राप्त रिपोर्ट भू.अ.नि बुचावास के अनुसार प्रार्थीगण अपने निवास राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त करवाना चाहते है। अब प्रार्थीगण अपने आधार कार्ड, राशन कार्ड व अन्य दस्तावेजों के आधार निवास बुचावास की जगह जिगसाना ताल करवाना चाहते है। आज दिनांक तक राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीगण का निवास बुचावास अंकित है। अतः प्रार्थीगण का निवास बुचावास की जगह जिगसाना ताल दुरूस्त किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाना उचित होगा।

पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि भू.अ.नि. बुचावास की रिपोर्ट के आधार पर एवं प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र के आधार पर प्रार्थना पत्र कृषि भूमि रोही मौजा बुचावास, पटवार हल्क बुचावास, तहसील तारानगर के खाता संख्या 994 के खसरा सं. 1045 तादादी 0.2276 हेक्ट., खसरा स 2409 / 1044 हैक्ट., खसरा नं. 2410 / 1046 तादादी 0.3541 हैक्ट. कुल खसरे तीन कुल तादादी 3.806 हैक्ट. की जमाबन्दी में प्रार्थीगण का निवास बुचावास के स्थान पर जिगसाना ताल स्वीकार किया जान उचित एवं न्यायसंगत प्रतीत होता है अतः कृषि भूमि रोही मौजा बुचावास, पटवार हल्का बुचावास, तहसी तारानगर के खाता संख्या 994 के खसरा सं. 1045 तादादी 0.2276 हेक्ट., खसरा सं. 2409 / 1044 हैक्ट खसरा नं. 2410 / 1046 तादादी 0.3541 हैक्ट. कुल खसरे तीन कुल तादादी 3.8062 हैक्ट. की जमाबन में प्रार्थीगण का निवास बुचावास के स्थान पर जिगसाना ताल दुरूस्त किया जाने के आदेश प्रदान कि जातें है। निर्णय की प्रति तहसीलदार तारानगर को राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद हेतु भिजवाई जावे। इ विचारण न्यायालय का यह निर्णय अपीलीय निर्णय है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 05.02.2024 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी तारानगर (चूरू)

(सन्दीप चौधरी आर.ए.एस.)
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी तारानगर (चू
उपखण्ड अधिकारी
तारानगर(चूरू)